भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. †3077**
07अगस्त, 2025 को उत्तर देने के लिए

**प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की स्थिति**

**†3077. श्री हमदुल्ला सईद:**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

**(क)** प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) की कार्यान्वयन और परिणामों के संदर्भ में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार वर्तमान स्थिति क्या है; और

**(ख)** सरकार द्वारा देश भर में फसल कटाई उपरांत नुकसान को कम करने और खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना में सुधार लाने हेतु पीएमकेएसवाई की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

**उत्तर**

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री**
**(श्री रवनीत सिंह)**

**(क):** खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) एक केन्द्रीय क्षेत्र की अम्ब्रेल्ला योजना "प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई)" का कार्यान्वयन कर रहा है। कार्यान्वयन और परिणामों के संदर्भ में पीएमकेएसवाई योजना की वर्तमान स्थिति का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है ।

**(ख):** पीएमकेएसवाई योजना का उद्देश्य देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का समग्र विकास करना है। पीएमकेएसवाई के अंतर्गत, पात्र संगठनों/संस्थाओं/उद्यमियों को खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण अवसंरचना स्थापित करने के लिए अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें खेत से लेकर खुदरा दुकानों तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन सहित आधुनिक अवसंरचना का निर्माण, कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना और उच्च मूल्यवर्धन सृजित करना, किसानों को बेहतर लाभ प्रदान करना, रोजगार के अवसर सृजित करना, नुकसान को कम करना, प्रसंस्करण स्तर को बढ़ाना और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ावा देना शामिल है, जिससे देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा।

पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं के अंतर्गत निर्मित सुविधाएँ, कच्चे कृषि उपज के परिरक्षण एवं प्रसंस्करण तथा कच्चे एवं तैयार उत्पादों के परिवहन में सहायता करती हैं, जिससे कृषि उपज की कटाई के बाद होने वाली हानि को कम किया जा सकता है। 30.06.2025 तक, पीएमकेएसवाई की विभिन्न घटक योजनाओं के अंतर्गत 1601 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 1133 परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं, जिससे देश के 3415102 किसान लाभान्वित हुए हैं।

पीएमकेएसवाई की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए, पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं के अंतर्गत कार्यरत परियोजना प्रबंधन एजेंसियों (पीएमए) द्वारा नियमित निगरानी और मंत्रालय द्वारा समय -समय पर परियोजनाओं का स्थल निरीक्षण किया जाता है। इसके अलावा, यदि आवश्यक हो, तो मंत्रालय योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और उनकी एजेंसियों के साथ भी मामले को उठाता है।

*****

अनुबंध

**दिनांक 07.08.2025 को उत्तर दिए जाने हेतु "प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की स्थिति" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3077 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध**

**30.06.2025 तक पीएमकेएसवाई योजना का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार वर्तमान कार्यान्वयन और परिणाम स्थिति**

| क्र.सं. | राज्य | स्वीकृत परियोजनाएँ | पूर्ण/ परिचालित परियोजनाएं | परियोजना लागत (करोड़ में) | स्वीकृत सहायता अनुदान (करोड़ में) | प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता सृजन (एलएमटी/वार्षिक) | रोजगार सृजन | किसान लाभान्वित |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अंडमान और निकोबार | 2 | 1 | 5.36 | 3.17 | 0.29 | 600 | 9552 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 77 | 39 | 3293.90 | 762.11 | 12.77 | 40888 | 247952 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 12 | 2 | 177.89 | 82.51 | 0.14 | 700 | 9589 |
| 4 | असम | 106 | 58 | 1224.11 | 435.35 | 8.00 | 12345 | 32412 |
| 5 | बिहार | 15 | 4 | 748.76 | 170.60 | 7.44 | 2190 | 28712 |
| 6 | चंडीगढ़ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 7 | छत्तीसगढ | 10 | 6 | 284.31 | 89.47 | 2.61 | 3335 | 19264 |
| 8 | दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव | 1 | 1 | 26.34 | 3.64 | 0.05 | 700 | 120 |
| 9 | दिल्ली | 21 | 21 | 31.15 | 10.90 | 0.00 | 296 | 0 |
| 10 | गोवा | 2 | 2 | 31.33 | 7.71 | 0.06 | 458 | 54 |
| 11 | गुजरात | 107 | 87 | 2634.63 | 653.99 | 21.27 | 35036 | 285256 |
| 12 | हरियाणा | 98 | 80 | 1502.18 | 400.26 | 10.41 | 15824 | 155156 |
| 13 | हिमाचल प्रदेश | 44 | 35 | 730.05 | 298.47 | 3.94 | 12893 | 132587 |
| 14 | जम्मू और कश्मीर | 40 | 30 | 386.92 | 194.32 | 2.00 | 6032 | 53203 |
| 15 | झारखंड | 2 | 2 | 3.10 | 0.94 | 0.00 | 37 | 0 |
| 16 | कर्नाटक | 95 | 76 | 1341.77 | 394.75 | 12.17 | 23103 | 144258 |
| 17 | केरल | 51 | 37 | 985.37 | 303.86 | 4.18 | 13634 | 53460 |
| 18 | लद्दाख | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 19 | लक्षद्वीप | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 20 | मध्य प्रदेश | 52 | 30 | 1021.26 | 355.66 | 8.34 | 9442 | 87341 |
| 21 | महाराष्ट्र | 245 | 175 | 4764.52 | 1305.04 | 73.96 | 83621 | 643393 |
| 22 | मणिपुर | 8 | 5 | 117.29 | 59.19 | 0.10 | 706 | 9650 |
| 23 | मेघालय | 10 | 6 | 117.08 | 71.92 | 0.12 | 346 | 55 |
| 24 | मिजोरम | 4 | 4 | 107.01 | 66.32 | 0.58 | 1455 | 19950 |
| 25 | नागालैंड | 6 | 2 | 131.34 | 78.90 | 0.35 | 637 | 9552 |
| 26 | उड़ीसा | 28 | 12 | 748.72 | 206.85 | 2.54 | 4157 | 39983 |
| 27 | पुडुचेरी | 2 | 2 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0 | 0 |
| 28 | पंजाब | 76 | 61 | 1566.31 | 427.07 | 15.14 | 20993 | 213845 |
| 29 | राजस्थान | 55 | 36 | 1049.02 | 305.37 | 8.58 | 12137 | 138752 |
| 30 | सिक्किम | 1 | 1 | 6.17 | 3.64 | 0.00 | 37 | 0 |
| 31 | तमिलनाडु | 145 | 107 | 1924.52 | 497.70 | 11.07 | 23988 | 342730 |
| 32 | तेलंगाना | 67 | 37 | 1631.34 | 394.44 | 11.01 | 8132 | 100137 |
| 33 | त्रिपुरा | 9 | 9 | 118.89 | 66.24 | 1.40 | 1245 | 564 |
| 34 | उत्तर प्रदेश | 97 | 73 | 1953.17 | 476.24 | 17.37 | 31574 | 214243 |
| 35 | उत्तराखंड | 59 | 50 | 1057.54 | 476.05 | 11.62 | 55570 | 302447 |
| 36 | पश्चिम बंगाल | 54 | 42 | 934.44 | 249.90 | 8.15 | 11528 | 120885 |
| | **कुल** | **1601** | **1133** | **30656.57** | **8853.38** | **255.66** | **433639** | **3415102** |